न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, **I.A.S.**

प्रकरण संख्या —61 / 2025 (अपील)

GCMS No.- 2025 / 95

1. बलदेव मोगा पुत्र स्व. श्री चानन राम मोगा, जाती पंजाबी निवासी ओयसिस हाउस, कोटा बूंदी, रामनगर, तहसील लाडपुरा कोटा जिला कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. मुकुंदराज मोगा पुत्र बलदेव मोगा, जाति पंजाबी, निवासी 2 / 8 पंजाबी बाग (ईस्ट) नई दिल्ली

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 13.5.2025 के विरूद्व जो कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कोटा मि0 नं0 2025 / 9

उपस्थितः—

1. श्री नरेश कुमार शेजवानी, रघुवीर सिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रघुनन्दन गौत्तम, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक— 21.01.2026

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के पेश किया जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पर दिनांक 27.06.2025 को आदेश पारित किया है कि—" हस्तगत प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि दिनांक 15.7.2013 को प्रार्थी द्वारा निष्पादित उपहार पत्र में ऐसी किसी भी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है तथा ना ही उभयपक्षकारान के मध्य ऐसा अन्य कोई इकरार निष्पादित हुआ है जिससे प्रमाणित होता है कि हस्तगत प्रकरण में सेक्शन 23 की पालना नहीं होती ना तो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से उपहारपत्र में ऐसी कोई अपेक्षा की थी कि प्रार्थी उसकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखेगा और ना ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से इस प्रकार की मांग अपने प्रार्थना पत्र में की गई है । दौराने बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उभयपक्षकारान आर्थिक तौर पर सक्षम है तथा कोटा में भी कंपनी के हिस्सेदार के तौर पर बडी कृषि भूमि धारित करते है तथा कोटा के अतिरिक्त दिल्ली, गुडगांव व पंजाब में भी संपत्ति धारित करते है । उक्त परिस्थितियों में जबकि ना तो प्रश्न प्रार्थी के भरण पोषण का है ओर ना ही उपहार पत्र धारा 23 में उल्लेखित शर्तो की पालना पूर्ण करता है, हम प्रार्थी का आवेदन अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 23 मेन्टिनेंस ऑफ पेरेन्ट्स एवं सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।
2. अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय के आदेश दिनांक 13.05.2025 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.07.2025 को पेश की गई है अपीलार्थी एक 70 वर्षीय वृद्व नागरिक है जो वर्तमान में अत्यंत दयनीय, पीडादायक एवं असहाय परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे है तथा मई 2010 से अपीलार्थी गंभीर हृदय रोग से पीडित है जिसके चलते उनके हृदय में स्टंट भी डले हुए है, अतिरिक्त वे उच्च रक्तचाप व मधुमेह जैसी जटिल एवं जीवनपर्यंत चिकित्सा की अपेक्षा रखने

वाली बीमारियों से भी पीडिंत है तथा निरंतर चिकित्सकीय देखरेख, परामर्श एवं उपचार के अधीन है । उपरोक्त गंभीर स्वास्थ्यगत एवं पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद प्रत्यर्थी जो कि अपीलार्थी का ज्येष्ट पुत्र है तथा उसकी पत्नी जो कि अपीलार्थी की बडी बहू है जिनका लालन पालन, शिक्षण दीक्षण एवं जीवन निमार्ण किया आज वही पुत्र एवं बहू अपने वृद्व एवं असहाय माता पिता के प्रति अमानवीय, कूर एवं शोषणकारी व्यवहार कर रहे है । इतना ही नहीं प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी पर अनुचित दबाव बनाकर अपीलार्थी की संचित सम्पत्तियों पर जबरन अधिकार जमाने की नियोजित मंशा से दिनांक 22.3.2024 को थाना पंजाबी बाग दिल्ली में एक झूंठी शिकायत दर्ज कराई गई । जिसका उद्देश्य अपीलार्थी को मानसिक रूप से प्रताडित, भयभीत कर उनकी वैध संपत्तियों से वंचित करना तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उन्हें शोषित करना रहा है । प्रत्यर्थी के उपर्युक्त अमानवीय आचरण, अनुचित व्यवहार तथा अपनाए गये निष्ठुर, स्वार्थपरक एवं शोषणकारी रवैये से अत्यंत व्यथित होकर, अपीलार्थी ने "वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007" की धारा 23 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरण के समक्ष एक विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा था कि वर्णित ग्राम रामनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित भूमि प्रार्थी के हिस्से 20/828 है का उपहार पत्र दिनांक 15.7.2013 जिसका पंजीयन उप पंजीयन कोटा प्रथम के यहां पस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या 177, पृष्ठ संख्या 175, कम संख्या 2011000422, दिनांक 28.01.2011 को पंजीबद्व किया गया है को अवैध घोषित कर निरस्त किया जावें तथा उक्त उपहार पत्र के आधार पर प्रतिपक्षी के प्ख में स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 266 दिनांक 9.6.2013 को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड से प्रतिपक्ष का नाम हटाया जाकर वापस प्रार्थी का नाम दर्ज किया जावें । उपहार पत्र दिनांक 15.7.2013 को अवेध घोषित कर निरस्त किये जाने की सूचना उप पंजीयन प्रथम कोटा को इस निर्देश के साथ दी जावें कि वह उसके रिकार्ड में उक्त उपहार पत्र को निरस्त करने का नोट दर्ज करें । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पारित आदेश दिनांक 13.5.2025 में न तो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई प्रासंगिक दलीलों एवं दस्तावेजों पर समुचित विचार किया गया ओर न ही धारा 23 के विधिक तत्वों एवं विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा पूर्व में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्यक परीक्षण किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि तथ्यों व न्याय की मूल भावना के प्रतिकूल होकर पारित किया गया है तथा यह स्पष्ट रूप से न्यायिक विवेक का अनुचित प्रयोग प्रतीत होता है । अतः उक्त आदेश दिनांक 13.5.2025 पूर्णतः निरस्त किए जाने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13.05.2025 के विरूद्व दिनांक 04.06.2025 को जरिये अभिभाषक केवियट प्रस्तुत की हुई थी । अभिभाषक रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक रघुनन्दन गौत्तम उपस्थित । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष अभिभाषकगण उपस्थित । उभय पक्ष की बहस सुनी तथा वकील उभयपक्षकारान ने अपनी अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

4/1 अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी एक 70 वर्षीय वृद्व नागरिक है जो वर्तमान में अत्यंत दयनीय, पीडादायक एवं असहाय परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे है तथा मई 2010 से अपीलार्थी गंभीर हृदय रोग से पीडित है जिसके चलते उनके हृदय में स्टंट भी डले हुए है, अतिरिक्त वे उच्च रक्तचाप व मधुमेह जैसी जटिल एवं जीवनपर्यंत चिकित्सा की अपेक्षा रखने वाली बीमारियों से भी पीडिंत है तथा निरंतर चिकित्सकीय देखरेख, परामर्श एवं उपचार के अधीन है । उपरोक्त गंभीर स्वास्थ्यगत एवं पारिवारिक पस्थितियों के बावजूदय प्रत्यर्थी जो कि अपीलार्थी का ज्येष्ट पुत्र है तथा उसकी पत्नी जो कि अपीलार्थी की बडी बहू है जिनका लालन पालन, शिक्षण दीक्षण एवं जीवन निमार्ण किया आज वही पुत्र एवं बहू अपने वृद्व एवं असहाय माता पिता के प्रति अमानवीय, कूर एवं शोषणकारी व्यवहार कर रहे है । यहां यह उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है कि अपीलार्थी द्वारा 21.11.2005 को गुरू महादेव बिल्ड होम प्रा.लि. नामक कंपनी का गठन किया

गया था । उस समय अपीलार्थी ने विश्वास एवं स्नेहवश अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रतिवादी जिसकी आयु मात्र 22 वर्ष थी और जो उस समय अध्ययनरत था को बिना किसी प्रतिफल राशि के कंपनी में 40 प्रतिशत का शेयर धारक एवं नदेशक नियुक्त किया उक्त 40 प्रतिशत शेयरों की संपूर्ण सदस्यता राशि भी अपीलार्थी ने ही अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से वहन की थी यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अंश पूंजी के अतिरिक्त अपीलार्थी ने कंपनी के नाम पर कई भूखण्ड अधिग्रहित किए थे जिसके प्रारम्भिक कय विकय समझौते अपीलार्थी की पत्नी, श्रीमती उषा मोंगा प्रतिवादी की माता के नाम से किए गए, परंतु उनकी वृद्वावस्था एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए अपीलार्थी ने उन भूखण्डों के विकय विलेख कंपनी के नाम अथवा प्रतिवादी बडे पुत्र के नाम पर पंजीकृत कराए । उस समय प्रतिवादी पूर्णतः अपीलार्थी के निर्देशन में कार्यकरता था तथा बडे पुत्र होने के नाते उसकी निष्ठा ओर मंशा पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होने का कोई कारण ही नहीं था । यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलार्थी द्वारा वर्षो तक प्रतिवादी को स्नेह, विश्वास एवं आत्मीयता के भाव से न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि अपनी धर्मपत्नी प्रतिवादी की मां व छोटे पुत्र के माध्यम से भी रू0 90,00,000/– (नब्बे लाख) से भी अधिक की राशि उपहार स्वरूप बिना किसी दायित्व के विश्वास और भावनात्मक लगाव के आधार पर आर्थिक सहायत व प्रतिवादी को व्यवसाय में सहायता हेतु इस आधार पर दी गई थी कि वह भविष्य में अपने माता पिता की सेवा देखभाल एवं सम्मानपूर्वक सहारा बनेगा किंतु प्रतिवादी इस विश्वास का दुरूपयोग करते हुए न केवल इन उपहारों को अपना स्थायी अधिकार मान लिया गया बल्कि अब अपने वृद्व माता पिता को मानसिक, सामाजिक एवं आर्थक रूप से प्रताडित कर रहा है ।

4/2 प्रतिवादी ने वर्ष 2014 से ही अपनी दुर्भावनापूर्ण मंशाओं का प्रदर्शन करना प्रारम्भ कर दिया था और निदेशक पद का दुरूपयोग करते हुए आए दिन अपीलार्थी को प्रताडित व ब्लैकमेल कर भारी भरकम धनराशि की उगाही करता रहे, जिसके बावजूद अपीलार्थी ने पिता के नाते व परिवार की प्रतिष्ठा तथा सौहार्द बनाए रखने की दृष्टि से कभी मामले को आगे नहीं बढाया जिससे प्रतिवादी की मांगे निरन्तर बढती गई व उसने उन अचल संपत्तियों को बेचने की धमकियां देना भी प्रारम्भ कर दिया जो वास्तव में अपीलार्थी द्वारा स्वयं खरीदी गई थी और विश्वासवश उसके नाम पर दर्ज कराई गई थी प्रतिवादी के इस व्यवहार से व्यथित होकर अपीलार्थी ने सिविल वाद संख्या 62/2023 दायर कर यह घोषणा चाही कि प्रतिवादी के नाम दर्ज संपत्तियॉ वास्तव में अपीलार्थी के हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति है, उक्त वाद में प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत दायर आवेदन को भी माननीय न्यायालय ने 21.9.2023 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्व प्रतिवादी ने माननीय उच्च न्यायालय में पुरीक्षण याचिका दायर की गई जिसमें 15.12.2023 को पारित आदेश के तहत प्रतिवादी को वादग्रस्त संपत्तियां जो कि अपीलार्थी ने स्वयं की राशि से प्रतिवादी के नाम पंजीकृत करवा रखी थी के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई ।

4/3 माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत दायर आवेदन के खारिज होने के तुरन्त पश्चात प्रतिवादी ने अपीलार्थी के विश्वास का घोर दुरूपयोग करते हुए दिनांक 17.10.2023 को कंपनी के बैंक खातों को फ्रीज करवाने हेतु एक विधिक नोटिस भिजवाया और जब उसमें विफल रहा तो तत्पश्चात दिनांक 15.12.2023 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण जयपुर पीठ (NCLT Jaipur Bench) के समक्ष कंपनी याचिका संख्या 30/241-242/JPR/2023 दायर कर कंपनी के समापन व अन्य राहते मांगी, ताकि वह कंपनी की समस्त संपत्तियों में अपने कथत 40 प्रतिशत हिस्सेदारी के बहाने समापन की प्रकिया में अनुचित लाभा अर्जित कर सकें, किन्तु प्रथम ही दिन 23.12.2023 के आदेश द्वारा माननीय NCLT ने उसे अंतरिम राहत देने से मना कर दिया इसके पश्चात उसने अनेकों बार पुनः प्रयास भी किया गया व प्रकारण माननीय नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल देहली में अपील भी की गई जिसमें भी वह विफल रहा तथा मानीय अधिकरण अनेको बार विवाद की पारिवारिक प्रकृति को

देखते हुए विशेषकर पिता एवं पुत्र के मध्य मामले को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने की भी सलाह दी तथा पक्षों की उपस्थिति भी निर्देशित की किन्तु प्रतिवादी ने विवाद को सुलझाने से साफ ही इंकार कर दिया क्योंकि अपीलार्थी के समस्त संपत्तियां पहले से ही उसे के नाम पंजीकृत है । इतना ही नहीं प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी पर अनुचित दबाव बनाकर अपीलार्थी की संचित सम्पत्तियों पर जबरन अधिकार जमाने की नियोजित मंशा से दिनांक 22.3.2024 को थाना पंजाबी बाग दिल्ली में एक झूंठी शिकायत दर्ज कराई गई । उक्त शिकायत में प्रतिवादी ने यह झूठा आरोप लगाया कि अपीलार्थी पिता उसे धमका रहे है तथा उसकी माता ने उसे यह कहा कि यदि वह घर आएगा तो पिता उसे मार देंगे । प्रतिवादी ने अपनी ही माता की कॉल रिकॉर्डिंग को तोड मरोडकर उसका दुरूपयोग करते हुए वही शिकायत का आधार बनाया जबकि अपनी ही मां की कॉल रिकार्ड करना व उसे तोड मरोडकर पिता के विरूद्व पुलिस में शिकायत करना प्रतिवादी के विकृत दृष्टिकोण, अनैतिक प्रवृत्ति और दुर्भावनापूर्ण इरादों को ही दर्शाता है व उक्त निराधार शिकायत के आधार पर संबंधित पुलिस अधिकारी लगातार अपलार्थी को थाने में आने की धमकी देकर मानसिक उत्पीडन कर रहे है जिसके कारण न केवल अपीलार्थी के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पडा है बल्कि उनके सम्मान स्वाभिमान तथा जीवन के शेष समय को भी अत्यंत तनावपूर्ण और अपमानजनक बना दिया गया है ।

4/4 प्रत्यर्थी के उपर्युक्त अमानवीय आचरण, अनुचित व्यवहार तथा अपनाए गये निष्ठुर, स्वार्थपरक एवं शोषणकारी रवैये से अत्यंत व्यथित होकर, अपीलार्थी ने "वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007" की धारा 23 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरण के समक्ष एक विधिवत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा था कि वर्णित ग्राम रामनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नंबर 20 से 44 तक कुल 25 खातों में फैली 8.29 हे0 भूमि स्थित है जिसमें से अजय भारतीय पुत्र श्री ओ.पी. भारती के नाम पर 20/828 हिस्सा दर्ज है उक्त हिस्सा अपीलार्थी ने दिनांक 28.01.2011 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किया गया था जिसका नामांतरण भी अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज करवाया गया था किन्तु पारिवारिक स्नेह, विश्वास एवं आत्मीयता के नाते अपीलार्थी ने बाद में उक्त भूमि में निहित अपने 20/828 हिस्से (1.25 बीघा) को दिनांक 15.7.2013 जिसका पंजीयन उप पंजीयन कोटा प्रथम के यहां पस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या 177, पृष्ठ संख्या 175, क्रम संख्या 2011000422, दिनांक 28.01.2011 को पंजीबद्व किया गया है को अवैध घोषित कर निरस्त किया जावें तथा उक्त उपहार पत्र के आधार पर प्रतिपक्षी के पक्ष में स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 266 दिनांक 9.6.2013 को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड से प्रतिपक्ष का नाम हटाया जाकर वापस प्रार्थी का नाम दर्ज किया जावें । उपहार पत्र दिनांक 15.7.2013 को अवेध घोषित कर निरस्त किये जाने की सूचना उप पंजीयन प्रथम कोटा को इस निर्देश के साथ दी जावें कि वह उसके रिकार्ड में उक्त उपहार पत्र को निरस्त अपीलार्थी की स्वामित्व स्थिति पुनः बहाल करने व जीवन निर्वाह, स्वास्थ्य देखभाल तथा वृद्वावस्था की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनुतोष चाहा गया । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पारित आदेश दिनांक 13.5.2025 में न तो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई प्रासंगिक दलीलों एवं दस्तावेजों पर समुचित विचार किया गया ओर न ही धारा 23 के विधिक तत्वों एवं वभिन्न मानवीय न्यायालयों द्वारा पूर्व में प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्यक परीक्षण किया गया जो कि विधि तथ्यों एवं न्याय के विरूद्व व अधिनियम की मूल भावना के प्रतिकूल है । अतः उक्त आदेश दिनांक 13.5.2025 पूर्णतः निरस्त किए जाने योग्य है । उपरोक्त आक्षेपित आदेश के अवलोकन मात्र से यह तथ्य पूर्णतः स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष हो जाता है कि माननीय अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को निम्नलिखित तीन आधारों पर अस्वीकार किया गया है–

- प्रथम यह कि दिनांक 15.7.2013 के उपहार पत्र में किसी प्रकार की ऐसी कोई शर्त या अपेक्षा का उल्लेख नहीं है जो धारा 23 के अधीन आवश्यक मानी जाती है, और न ही पक्षकारों के मध्य इस आशय का कोई पृथक इकरानामा निष्पादित हुआ है ।

- द्वितीय यह कि उपहार पत्र निष्पादित करते समय अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं की गई, और न ही ऐसी कोई मांग प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई है ।
- तृतीय यह कि माननीय प्राधिकारी के अनुसार उभय पक्षकार आर्थिक रूप से सक्षम है तथा कोटा सहित दिले, गुरूग्राम और पंजाब में भी अचल संपत्तियां एवं कृषि भूमि के स्वामी है । अतः धारा 23 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते है ।

4/5 अधीनस्थ अधिकरण द्वारा यह कथन कि अपीलार्थी के पास दिल्ली, गुरूग्राम व पंजाब में अचल संपत्तियां है न केवल निराधार और भ्रामक है बल्कि उसके समर्थन में कोई दस्तावेज अथवा अभिलेख न तो माननीय अधीनस्थ अधिकरण और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए है । अधीनस्थ अधिकरण का यह अनुमान कि अपीलार्थी के पास विधि आय स्त्रोत मौजूद है तथा वह बहु आवागमन संपत्तियों का धारक है पूरी तरह कल्पनात्मक, अनुमानी और रिकार्ड–साक्ष्यों के प्रतिकूल है । आक्षेपित आदेश दिनांक 13.5.2025 केवल मात्र आधारहीन एवं झूंठे कथनों के आधार पर पारित किया गया है जिनका अभिलेख पर एक भी दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 23 के प्रावधानों की समुचित व्याख्या एवं विधि सम्मत समीक्षा नहीं की गई है, उक्त धारा का स्पष्ट आशय यह है कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति चाहे वह उपहार के रूप में हो अथवा अन्य किसी रूप में किसी संतान अथवा संबंधी को इस उद्देश्य से हस्तांतरित करता है कि वह व्यक्ति उसकी भौतिक आवश्यकताओं भरण पोषण, स्वास्थ्य देखाभाल एवं अनिवार्य जीवन सुविधाओं का ध्यान रखेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है तो उक्त हस्तांतरण को "धोखा,दबाव या अनुचित प्रभाव" द्वारा किया गया माना जाएगा ।

4/6 प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का यह स्पष्ट एवं सुसंगत मामला है कि उसने विधिवत गिफ्ट डीड के माध्यम से प्रत्यर्थी के पक्ष में केवल इस आशय से किया था कि प्रत्यर्थी उसकी वृद्वावस्था में आवश्यक भरण पोषण, खर्चे, स्वास्थ्य सेवा, दैनिक आवश्यकताओं एवं बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति करेगा । यह उद्देश्य उक्त हस्तांतरण का मूल आधार था किन्तु प्रकरण के रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा अपीलार्थी की न तो किसी भी प्रकार की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की गई, न ही भरण पोषण, देखभाल या चिकित्सकीय आवश्यकताओं की ओर कोई प्रयास किया गया । प्रतिवादी ने तो उल्टे माननीय अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि "अपीलार्थी को भरण पोषण की आवश्यकता ही नहीं है" जो कि न केवल तथ्यात्मक रूप से असत्य है बल्कि उक्त गिफ्ट डीड के आशय के भी विपरीत है । यह अत्यंत खोदजनक है कि अधीनस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 15.7.2013 के उपहार पत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि उपहारकर्ता द्वारा प्रतिवादी से मूलभूत सुविधाओं, भरण पोषण या देखभाल की अपेक्षा की गई थी तथा इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रकरण धारा 23 की परिधि में नहीं आता । अधीनस्थ न्यायाधिकरण का यह दृष्टिकोण न केवल तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण है अपितु विधिक रूप से भी असंगत एवं न्याय के सिद्वांतों के प्रतिकूल है, धारा 23 की भावना यह नहीं है कि उपहार पत्र में देखभाल की कोई शर्त स्पष्ट रूप से लिखित हो बल्कि इसका मर्म यह है कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति इस आशय से हस्तांतरित करता है कि प्राप्तकर्ता उसकी वृद्वावस्था में देखभाल करेगा और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो ऐसा हस्तांतरण स्वतः ही धोखाधडी, दबाव अथवा अनुचित प्रभाव से किया गया माना जाता है भले ही उपहार पत्र में ऐसी कोई शर्त लिखित रूप में न हो । यह भी स्थापित विधिक सिद्वांत है कि किसी दस्तावेज की व्याख्या केवल उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके पीछे के आशय, पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यवहार और परिस्थितियों से की जानी चाहए । न्यायाधिकरण द्वारा पारित यह निष्कर्ष कि "धारा 23 लागू नहीं होती, क्योंकि उपहार पत्र में कोई स्पष्ट शर्त नहीं थी अथवा पक्षकार आर्थिक रूप से सक्षम है" न केवल विधिक रूप से दोषपूर्ण है, बल्कि यह न्याय की अवधारण और वरिष्ठ

नागरिक अधिनियम के उद्श्य को भी विफल करता है । अतः यह निर्णय विधिक रूप से गलत ,प्राकृतिक न्याय के विद्वांतों के प्रतिकूल तथा निरस्त किये जाने योग्य है । अपने कथनों के समर्थन में वकील अपीलांट ने निम्न न्यायिक दृष्टांतों पर प्रकाश डाला है–

- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने Nitin Rajentra Gupta V/scollector, Writ petition No. 28190/2022 निर्णय दिनांक 9.9.2023 में यह प्रतिपादन किया कि यदि किसी विलेख /हस्तांतरण दस्तावेज में वरिष्ठ नागरिक को मूलभूत सुविधाएं एवं शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की शर्त को अनिवार्य बनाया जाए तो इससे अधिकांश लेनदेन व्यावहारिक रूप से बाधित हो सकते है । अतः माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि ऐसी शर्त का हस्तांतरण दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक नहीं है ।
- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने Mohamed DayanV/s District Collector, निर्णय दिनांक 9.9.2023 में अधिनियम की धारा 23(1) का विस्तारपूर्वक विश्लेषण करते हुए यह निर्णित किया कि "स्नेह एवं प्रेम इस प्रावधान के संदर्भ में एक अंतर्निहित शर्त है न कि अनिवार्य रूप से विलेख में लिखी जाने वाली स्पष्ट शर्त । न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि धारा 23(1) के उद्देश्यों को देखते हुए स्नेह एवं प्रेम का मौलिक अस्तित्व स्वयं सिद्व माना जाएगा, और अतः इसके लिए किसी पृथक, स्पष्ट शर्त का विलेख में होना आवश्यक नहीं है ।
- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने S. Mala V/s District Collector & Ors writ petition 3582/2024 निर्णय दिनांक 6.3.2025 में स्पष्टतः प्रतिपादित किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा स्थापित सिद्वांत यह दर्शाते है कि अधिनियम की धारा 23 (1) के अंतर्गत अपेक्षित शर्त का दस्तावेज में स्पष्ट (explicit) रूप में मानी जाएगी । न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि दस्तावेज में "love and affection" को लेन देन का आधार /पर्याप्त प्रतिफल (consideration) के रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दर्शाया जा सकता है तो यह स्वयं में यह स्थापित करने हेतु पर्याप्त है कि वरिष्ठ नागरिक की देखभाल करना विलेख लाभार्थी की एक अंतर्निहित दायत्वपूर्ण शर्त है ।
- माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी Varinder kaur V/s Daljit kaur & Ors LPA No. 587/2025 निर्णय दिनांक 26.9.2025 में यह प्रतिपादन किया कि वरिष्ठ नागरिक द्वारा दायर आवेदन पर अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत विलेख को शून्य घोषित करने के लिए अधिकार प्रयोग करते समय, अधिकरण का दायित्व केवल आवेदन की सतही सामग्री तक सीमित नहीं होता, बल्कि, अधिकरण से यह अपेक्षित है कि वह उपलब्ध सभी प्रासंगिक सामग्री, अभिलेख, परिस्थितियों एवं तथ्यों का समग्र और न्यायसंगत परीक्षण करें । अतः धारा 23 अंतर्गत न्यायिक संतुलन स्थापित करने हेतु अधिकरण द्वारा संपूर्ण अभिलेखीय सामग्री का मूल्यांकन करना अनिवार्य है ।
- माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने Ravi prakash R.sodhani &AnrV/s Ram Swaroop Sodhani Ors writ petition No. 11375 of 2025 निर्णय दिनांक 3.10.2025 में न्यायालय ने यह माना कि यदि वरिष्ठ नागरिक उपहार / हस्तांतरण के बाद स्वयं को उपेक्षित, अपमानित महसूस करता है, तो उसके दावे को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि विलेख में कोई विशिष्ट शर्त अंकित नहीं थी । विशेषतः जब अभिलेखों में यह परिलक्षित हो कि वरिष्ठ नागरिक ने पारिवारिक सुलह समझौते के लिए प्रयास किए थे, परंतु उसके बावजूद उसकी उपेक्षा जारी रही है । ऐसी सिथति में वरिष्ठ नागरिक का दावा धारा 23(1) के अंतर्गत पूर्णतः संरक्षित है और विलेख को शून्य घोषित किया जाना न्यायसंगत है ।

अतः उपर्युक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.5.2025 को निरस्त किया जाए तथा प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित उपहार पत्र दिनांक 15.7.2013 को वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के अंतर्गत शून्य, निरस्त एवं अमान्य घोषित

किया जए, साथ ही उक्त उपहार पत्र के आधार पर प्रतिवादी के पक्ष में दर्ज नामांतरकरण को भी निरस्त कर अपीलार्थी के नाम पुनः नामांतरकरण खोला जाए ।

5 **वकील रेस्पोडेन्ट** ने अपनी बहस में कथन किया है कि मेन्टेनेंस ऑफ पेरेंट्स एण्ड सीनियर सिटीजन एक्ट, 2007 का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों एवं माता पिता के भरण पोषण /मेन्टेनेंस को सुनिश्चित करना है तथा इसका उद्देश्य नियमित रूप से सम्पत्तियों से पुत्र /पुत्रियों की बेदखली किया जाना याउनका मालिकाना हक व स्वात्वाधिकार छीना जाना नहीं है । इस प्रकरण में अपीलार्थी /प्रार्थी ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 में –

- विपक्षी से किसी प्रकार के मेन्टेनेंस राशि /भरण पोषण राशि की मांग नहीं की है, ना ही इस बाबत कोई अनुतोष चाहा है ।
- ना ही यह अंकित किया है कि वह अपना मेन्टेनेंस /भरण पोषण करने में आर्थिक रूप से असमर्थ है या इसके पास इस हेतु पर्याप्त सम्पत्तियां नहीं है ।
- अपीलार्थी द्वारा मूल प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष (प्रत्यर्थी के हक में निष्पादित उपहार पत्र दिनांक 15.7.2013 को अवैध घोषित कर निरस्त करवाये जाने का अनुतोष) इस तथ्य पर आधारित नहीं है कि अपीलार्थी /प्रार्थी स्वयं अपना भरण –पोषण करने /मेन्टेनेंस करने में असमर्थ है या उसके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है या उसको स्वयं को मेन्टेन करने के लिए उसके पास चल या अचल सम्पत्तियों की कमी है ।

5–1 विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 व इसमें चाहे गये अनुतोष, एक्ट 2007 के उद्देश्यों व भावना के विपरीत होने से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य था तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का प्रार्थना पत्र खारिजी आदेश पूर्णतया वैध, तार्किक, विधि सम्मत एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित विधि के सिद्वान्तों पर आधारित है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

5–2 वास्तव में भी अपीलार्थी / प्रार्थी अपना मेन्टेनेंस / भरण पोषण करने में आर्थिक रूप से पूर्णतया सक्षम है, जिसको किसी प्रकार की किसी मेन्टेनेंस राशि / भरण पोषण राशि की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही आज दिन भी अपीलार्थी के पास अचल सम्पत्तियों की कमी है । इसलिए ही अपीलार्थी प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में मेन्टेनेंस राशि का क्लेम प्रत्यर्थी से नहीं किया, फलस्वरूप केवल इसी आधार पर अपीलार्थी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज खारिज किये जाने योग्य था जो विधि एवं प्रकियानुसार सही खारिज किया गया है जिस खारिजी आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक या तकनीकि त्रुटि नहीं है, फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

5–3 अपीलार्थी प्रार्थी के पास इस प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष की विषयवस्तु उपहार पत्र दिनांक 15.7.2013 में उपहार की गई भूमि के अलावा,अन्य बहुत सारी अचल सम्पत्तियां मौजूद है । अपीलार्थी प्रार्थी ने उपहार पत्र दिनांक 15.7.2013 को इसलिए अवैध घोषित करवाकर निरस्त किये जाने का अनुतोष नहीं चाहा है इस उपहार की भूमि से उसको स्वयं का भरण पोषण /मेन्टेनेंस किया जाना है या इसके बिना भरण पोषण / मेन्टेनेंस संभव नहीं है,इसलिए अपीलार्थी प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित एवं वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । उल्लेखित किया जाना समीचीन है कि प्रत्यर्थी की ओर से प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात में विभिन्न वादपत्रों की प्रतियों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी प्रार्थी अपने अन्य पुत्र मुकुल मोंगा के असम्यक असर एवं प्रभाव में प्रत्यर्थी से उसकी सम्पत्तियों को हडप करने के लिए सिविल विवाद को एक्ट 2007 के प्रावधानों का रंग देकर शार्टकट तरीके से उपहार पत्र दिनांक 15.7.2013

को निरस्त करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो एक्ट 2007 की स्पीरिट के विरूद्व होने से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है, इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल प्रार्थना पत्र खारिज किया गया , जिसके लिए पारित आलौच्य निर्णय कानूनन सही एवं विधि सम्मत है । जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है ।

5–4 एक्ट 2007 की धारा –23 के प्रावधान प्रकरण पर व उपहार पत्र दिनांक 15.7.2013 पर लागू नहीं होते है, क्योंकि एक्ट 2007 की धारा 23 में वर्णित शर्तो में से कोई भी शर्त उपहार पत्र दिनांक 15.7.2013 में अंकित नहीं है अर्थात उपहार पत्र दिनांक 15.7.2013 सशर्त नहीं है बल्कि बिना किसी शर्त के निष्पादित किया गया है । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी प्रार्थी उक्त उपहार पत्र को एक्ट 2007 की धारा 23 के तहत अवैध घोषित कराने या निरस्त कराने का अधिकारी नहीं है फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

5–5 वकील रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट की लिखित बहस का जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में एवं लिखित बहस की मद संख्या–2 में वर्णित संक्षिप्त तथ्य एवं पृष्ठभूमि में वर्णित तथ्य अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–23 के कथनों, अभिवचनों, तथ्यों आदि से कतई भिन्न, परे अलग व नये है जो अपीलार्थी द्वारा एक बिल्कुल नया केस सेटल करने के उद्देश्य से अंकित किये गये है, इसलिये ये कथन व तथ्य कतई पढे जाने योग्य नहीं है, ना ही गौर किये जाने योग्य है बल्कि कानूनन डिस्कार्ड किये जाने योग्य है तथा इस पर आधारित अपील खारिज किये जाने योग्य है । उल्लेखित किया जाना समीचीन है कि संक्षिप्त तथ्य एवं पृष्ठभूमि मद संख्या–क के उपमद संख्या–3 लगायत 7 में वर्णित तथ्यों को पढने से पूर्णतया स्पष्ट है कि अपीलार्थी चल अचल सम्पत्तियों के स्वामित्व कब्जे व अधिकारों के विवादों की मिथ्या लडाई प्रत्यर्थी के साथ कई वर्षो से लड रहा है तथा एक्ट, 2007 की धारा 23 की आड में एवं विधि की प्रकिया का दुरूपयोग कर विधि एवं प्रकियानुसार करीब 13 वर्ष पूर्व प्रत्यर्थी को दान /उपहार की गई सम्पत्ति का वापस हडप करने के लिए मिथ्या मुकदमेबाजी कर रहा है, चल व अचल सम्पत्तियां प्रत्यर्थी से हडप करने के लिए अपीलार्थी की ओर से सिविल न्यायालयों, एनसीएलटी, उच्च न्यायालय आदि में विभिन्न सिविल वाद, फौजदारी प्रकरण अपीलार्थी द्वारा लगातार प्रत्यर्थी के विरूद्व दाखिल किये जा रहे है जिनमें केवल और केवल चल अचल सम्पत्तियों का विवाद है, इन साम्पत्तिक विवादों के मुकदमेबाजी की शुरूआत भी अपीलार्थी द्वारा ही की गई है । प्रत्यर्थी मुकुन्द राज मोगा के अलावा अपीलार्थी प्रार्थी बलदेव मोगा के एक अन्य पुत्र मुकुल मोगा है, जिसके कारण अपीलार्थी बलदेव मोगा प्रत्यर्थी के साथ घोर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हुए प्रत्यर्थी की चल अचल सम्पत्तियों को विधि विरूद्व तरीके से प्रत्यर्थी से हडपकर मुकुल मोगा को देने पर आमादा है । प्रार्थी/अपीलार्थी एवं अप्रार्थी /प्रत्यर्थी, गुरू महादेव बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक है जिस कम्पनी में ग्राम रामनगर व ग्राम नांदना उर्फ बढगांव में भी लगभग 40 बीघा जमीन है । अपीलार्थी द्वारा सन 2024 में जिला न्यायाधीश कोटा के समक्ष उक्त कम्पनी को अपनी मालिकाना हक की बताते हुए इस बाबत एक घोषणा का दावा संख्या 44/2024 प्रस्तुत किया गया । उक्त दावे में प्रत्यर्थी द्वारा दावा पोषणीय नहीं होने से दावा खारिज करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो पर जिला न्यायाधीश क्रम–5 कोटा द्वारा खारिज किए जाने पर इसकी दीवानी निगरानी याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.11.2024 द्वारा विचारण न्यायालय की कार्यवाहियों को स्थगित किया गया था, तत्पश्चात प्रकरण की सुनवाई कर इसे पुनः सुनवाई कर निर्णय हेतु रिमाण्ड कर दिया,जिस पर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम–5 कोटा ने अपीलार्थी /प्रार्थी का वाद खारिज फरमा दिया । <u>प्रार्थी की पत्नी व अन्य पुत्र मुकुल द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष उपहार पत्र दिनांकित 15.7.2013 में अतर्वलित संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति बताते हुए हस्तगत प्रकरण में अंतर्वलित उपहार पत्र दिनांकित 15.7.</u>

2013 को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है । प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी द्वारा एक अन्य दावा अप्रार्थी के स्वामित्व, कब्जे व अधिकार की ग्राम नान्दना उर्फ बडगांव में स्थित 9.02 हे0 (54 बीघा) कृषि भूमि को लेकर जिला न्यायाधीश कोटा के समक्ष घोषणा का दावा प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें प्रार्थी के अन्य पुत्र मुकुल मोंगा द्वारा भी पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर उसे पक्षकार बनाने का आदेश पारित किया गया । उक्त वादपत्र में मिन अप्रार्थी द्वारा दावा पोषणीय नहीं होने से दावा खारिज किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे न्ययालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.9.2023 द्वारा खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्व अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.11.2023 द्वारा वाद संख्या 62/2023 में अग्रिम कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया गया जो स्थगन आदेश आज दिन तक लगातार प्रभावी है । इसी कडी में प्रार्थी द्वारा अपने अन्य पुत्र मुकुल के अनुचित प्रभाव में यह प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्य अंकित करते हुए प्रस्तुत किया हुआ है जो किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है ।

5–6 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं लिखित बहस की मद संख्या–ख वरिष्ठ नागरिक एवं अभिभावक भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही के उपमद संख्या 8 व 9 में वर्णित तथ्य भी अपील में एक नया केस सेटल करने का प्रयास है जो कानूनन अनुमत नहीं है । हालांकि अपीलार्थी ने उपरोक्त मद संख्या–ख, के उपमद संख्या–8 व 9 में वर्णित तथ्य कभी भी मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 में कथन या अभिवचन नहीं किये है । प्रस्तुत अपील एवं लिखित बहस की मद संख्या–ख के उपमद संख्या–10 में अपीलार्थी ने पूर्ण तथ्य अंकित नहीं किये, उपमद संख्या–11 लगायत 15 के तथ्य व्यर्थ है, क्योंकि मूल प्रार्थना पत्र के तथ्यों, अभिवचनों एवं कथनों से परे अपील में नये तथ्यों के साथ नया केस सेटअप किया गया है जो कानूनन अनुमत नहीं है तथा In the Matter of Rama kt. Barman Vs Md. mahim Ali and oth. Decided on 21-8-2024 Hon'ble Suprem Court द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्वान्त कि, Settled Law Court cannot creat any new case at the appellate stage for either of parties and appellate court is supposed to Decided issue involved in suit based on pleading of parties. के प्रकाश में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पढे जाने योग्य ही नहीं है । क्योंकि अपीलार्थी ने अपील में कतई नये कथनों व अभिवचनों के साथ नया केस सेटल करने का प्रयास किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में एवं लिखित बहस की मद संख्या–ख के उपमद संख्या 16 लगायत 22 में वर्णित न्याय निर्णयनों में पारित निर्णय प्रकरण हाजा के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर चस्पा नहीं होते है, सभी न्याय निर्णयन विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित है तथा सम्बधित प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितयों के आधार पर पारित किये गये है, जबकि (1) In the Matter of sudesh chhikara V/S Ramti devi, Decided on 6-12-2022 Hon'ble Suprem Court (2) in the Matter of Subhashini Vs The District Collector (Full bench) Decided on 22-9-2020 Hon'ble Kerela High Court (3) in the Matter of Shri NanjappaVs State of Karnataka (DB), Decided on 17-3-2023 Ho'ble karnataka High Court at Bangaluru. द्वारा विधि का सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि एक्ट 2007 की धारा 23 को आकर्षित करने के लिए दो शर्ते फुल फिल किया जाना आज्ञापक है तथा इन दोनों शर्तो के तहत उपहार पत्र इस शर्त के साथ निष्पादित किया जाना आवश्यक है कि ट्रांसफरी /उपहारग्रहिता उपहारकर्ता को बेसिक एमेनीटीज, बेसिक फिजिकल नीड्स उपलब्ध करवायेगा और यदि ट्रांसफरी /उपहारग्रहिता ऐसा करने में असफल रहता है या ऐसा करने से इन्कार करता है तो उपहारकर्ता उपहार पत्र को एक्ट 2007 की धारा 23 के तहत ट्रिब्यूनल से शून्य घोषित करवा सकेगा तथा उक्त दोनों शर्ते स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होनी चाहिए माननीय सर्वोच्च

न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित उक्त न्याय निर्णयनों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिन तक Overrule या Distinguish नहीं किया गया है, बल्कि विभिन्न प्रकरणों में रेफर कर फॉलो किया गया है । इसी प्रकार In the Matter of Samtola Devi Vs State of Utter pradesh, Decided on 27-3-2025 Hon'ble SupremCourt ने विधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि, Senior Citizen Act 2007 Where the senior citizen has already transferred the property in favor of ther they case to have ownership rights and hence cannot seek eviction of occupants. भी आज दिन तक Overrule या Distinguish नहीं किया गया है, बल्कि विभिन्न प्रकरणों में रेफर कर फॉलो किया गया है । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में एवं लिखित बहस की मद संख्या –ख के उपमद संख्या 16 लगायत 22 में वर्णितानुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा न्याय निर्णयनों में पारित निर्णय प्रकरण हाजा के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर चस्पा नहीं होते है ।

5–7 बॉम्बे उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिनांक 8.1.2025 को Jitendra Goraksh Megha Vs Additional collector, Bombay High Court, (DB) Decided on 8-12-2025 में पारित निर्णयानुसार मेंटेनेन्स की मांग के बिना सम्पत्ति खाली कराये जाने का क्लेम चलने योग्य नहीं है तथा सम्पत्ति का विवाद /प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने की स्थिति में भी एक्ट, 2007 के तहत कार्यवाही या आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है अर्थात एक्ट, 2007 एवं उसके प्रावधानों की एप्लीकेबलीटी नहीं है । हस्तगत प्रकरण में भी प्रार्थी /अपीलार्थी जिस उपहार पत्र को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय से निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है, उस उपहार पत्र को शून्य अवैध एवं निष्प्रभावी घोषित कराने का अनुतोष न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, कोटा में विचाराधीन सिविल वाद में भी चाहा गया है, इसलिए प्रकरण सिविल न्यायालय में ''सब–ज्यूडिस'' के कारण एक्ट 2007 के प्रावधानों के तहत विचारणीय ही नहीं रह जाता है, फलस्वरूप विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

5–8 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में एवं लिखित बहस की मद संख्या–ख वरिष्ठ नागरिक एवं अभिभावक भरण पोषण अधीनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही के उपमद संख्या 23 लगायत 27 में वर्णित तथ्य, बहस एवं तर्क व्यर्थ है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों, अभिवचनों एवं तथ्यों से परे होकर एक नया केस सेटप करते है जो कानूनन अनुमत नहीं है तथा विधि का निर्वचन भी अपनी मर्जी से किया हुआ है जो सर्वथा गलत है, इसलिए अपीलार्थी की कोई सहायता नहीं करता है, फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने की कृपा करें ।

6 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 23 सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी अपीलांट द्वारा अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांकित 15.7.2013 को आलेखित रजिस्टर्ड उपहार पत्र को निरस्त कराने / अपास्त कराने का अनुतोष चाहा गया था जो अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.05.2025 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि–''हस्तगत प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि दिनांक 15.7.2013 को प्रार्थी द्वारा निष्पादित उपहार पत्र में ऐसी किसी भी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है तथा ना ही उभयपक्षकारान के मध्य ऐसा अन्य कोई इकरार निष्पादित हुआ है जिससे प्रमाणित होता है कि हस्तगत प्रकरण में सेक्शन 23 की पालना नहीं होती ना तो प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से उपहारपत्र में ऐसी कोई अपेक्षा की थी कि प्रार्थी उसकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखेगा और ना ही प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से इस प्रकार की मांग अपने प्रार्थना पत्र में की गई है । दौराने बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उभयपक्षकारान आर्थिक तौर पर सक्षम है तथा कोटा में भी कंपनी के हिस्सेदार के तौर पर बडी कृषि भूमि धारित करते है तथा

कोटा के अतिरिक्त दिल्ली, गुडगांव व पंजाब में भी संपत्ति धारित करते है । उक्त परिस्थितियों में जबकि ना तो प्रश्न प्रार्थी के भरण पोषण का है ओर ना ही उपहार पत्र धारा 23 में उल्लेखित शर्तो की पालना पूर्ण करता है, । अपीलाधीन आदेश के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 7.7.2025 को पेश हुई है जो अन्दर मियाद है ।

7 वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज के सम्बन्ध में किये गये विश्लेषण के सम्बन्ध में तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने sudesh chhikara V/S Ramti devi, Decided on 6-12-2022 Hon'ble Suprem Court में प्रतिपादित सिद्वांत " जब कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति को उपहार यारिलीज याअन्यथा अपने निकट और पिकयजनों के पक्ष में निष्पादित करके छोडता है तो वरिष्ठ नागरिक की देखभाल करने की शर्त आवश्यक रूप से इसके साथ जुडी नहीं होती है । इसके विपरीत बहुत बार ऐसे हस्तांतरण बिना किसी बदले की उम्मीद के प्यार और स्नेह से किए जाते है । इसलिए जब यह रोप लगाया जाता है कि धारा 23 की उपधारा (1) में उल्लखित शर्ते हस्तांतरण से जुडी है तो ऐसी शर्तो का अस्तित्व न्यायाधिकरण के समक्ष स्थापित किया जाना चाहिए ।" वकील अपीलांट सुदेश चिकारा बनाम रमती देवी के विपरीत उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित एवं अन्य सिविल अपील संख्या 10927 /2024 निर्णय दिनांक 2.1.2025 से न्यायिक निर्णय "सुदेश चिकारा बनाम रमती देवी" Overrule होना बताया है । इसके अलावा अपीलांट ने प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक निर्णय के आलोक में तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत विलेख को शून्य घोषित करने के लिए अधिकार प्रयोग करते समय, अधिकरण का दायित्व केवल आवेदन की सतही सामग्री तक सीमित नहीं होता बल्कि अधिकरण से यह अपेक्षित है कि वह उपलब्ध सभी प्रासंगिक सामग्री, अभिलेख, परिस्थितियों एवं तथ्यों का समग्र और न्याय संगत परीक्षण करें । धारा 23 के अन्तर्गत के अन्तर्गत न्यायिक संतुलन स्थापित करने हेतु अधकरण द्वारा संपूर्ण अभिलेखीय सामग्री का मूल्यांकन करना अनिवार्य है । आगे यह भी तर्क है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 23 का उद्देश्य ही यह है कि ऐसे किसी लिखित क्लॉज की अनुपस्थिति में भी यदि यह परिस्थितियों एवं व्यवहार से सिद्व होता है कि संपत्ति वृद्वावस्था में स्नेह, विश्वास एवं अपेक्षित देखभाल के आशय से दी गई थी तो ऐसी गिफ्ट डीड निशुल्क दी गई ऐसी परिस्थितियों में यह एक स्वाभाविक निष्कर्ष है कि उक्त संपत्ति भविष्य में अपेक्षित देखभाल, भरण पोषण व मूल भूत शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा में दी गई थी ।

8 यहां यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय समतोला देवी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य निर्णय दिनांक 27.3.2025 के पैरा नं0 24,26 व 33 में प्रतिपादित अनुसार सम्पत्ति के विभाजन, उपहारों एवं विकय विलेखों का दावा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए धारा 23 के तहत बेदखली उचित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि इस अपील प्रकरण से सम्बन्धित सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी प्रार्थी व प्रार्थी अपीलांट की पत्नी व अन्य पुत्र मुकुल द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष उपहार पत्र दिनांकित 15.7.2013 में अतर्वलित संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति बताते हुए हस्तगत प्रकरण में अंतर्वलित उपहार पत्र दिनांकित 15.7.2013 को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है किन्तु उपहारकर्ता द्वारा उक्त उपहार पत्र को निरस्त कराने के लिए वाद प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थी अपीलांट के पत्नि एवं पुत्र मुकुल मोगा द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है ।

9 उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.05.2025 अपास्त किया जाता है । अपीलांट ने उक्त वरिर्णत उपहार पत्र प्रेम एवं स्नेह से अप्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया था चूंकि अब प्रार्थी अपीलांट एवं अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के मध्य प्रेम एवं स्नेह समाप्त हो चुका है, तथा रेस्पोडेन्ट अपीलांट को नाजायज मुकदमे बाजी में मानसिक रूप से परेशान कर रहे है, ऐसी स्थिति में उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित एवं अन्य सिविल अपील संख्या 10927 /2024 निर्णय दिनांक 2.1.2025 एवं ने S. Mala V/s District Collector & Ors writ petition 3582/2024 निर्णय दिनांक 6.3.2025 न्यायिक निर्णयों की रोशनी में प्रार्थी अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 15.7.2013 को निष्पादित उपहार पत्र अन्तर्गत धारा 23, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किया जाकर शून्य घोषित किया जाता है । निर्णय की प्रति सम्बन्धित उप पंजीयक कोटा को एवं तहसीलदार लाडपुरा को पालनार्थ भिजवाई जावें ।

10 निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा